प्रति. निर्णय दिनांक 26-8-2019
प्रकरण सं. R.M. 6/2018,
करमीराम बनाम गीगा उर्फ गीगाराम, वगैरह
अन्तर्गत धारा 17(5) राज. कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स पद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
26-8-19	वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 4, 5 की ओर से सरकारी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने दिनांक 16-8-2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से राजीनामा प्रार्थी उक्त प्रकरण को आगे चलाना नही चाहते है अतः प्रकरण जरिये राजीनामा खारिज करावे। प्रार्थी की पहचान उनके वकील श्री सुरेन्द्र चौहान ने दी है। अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 व 2 से 3 की पहचान उनके वकील श्री नवीनकुमार गहलोत द्वारा दी गई है। आज वकील प्रार्थी ने एक और प्रार्थनापत्र बाबत पत्रावली Not press में खारिज करने हेतु पेश किया। इस पर अप्रार्थीगण वकील ने कोई आपत्ति प्रकट नही की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र Not press में खारिज किया जाता है, एवं आदेश तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 18-6-2018 मय अभिलेख की प्रति तहसीलदार बागोडा को भिजवायी जावे, तहसीलदार बागोडा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर यदि समुचित आधार हो, उक्त प्रकरण में अपील/रेफरेन्स की 1 माह में विधि अनुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (छगनलाल गोयल) अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested